

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 25 / 43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2019

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री सुबेश कुमार सिंह पुत्र श्री राणा शमेश्वर जंग बहादुर सिंह, 1/87बी, विनीत खण्ड, गोगतीनगर, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

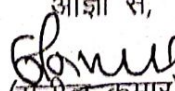
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2-- मा0 मुख्यामंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3-- संबंधित अधिकारी।
- 4-- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5-- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्गिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6-- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7-- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8-- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10-- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11-- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12-- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13-- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14-- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15-- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16-- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17-- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 26 / 43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय झाप

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्रीमती रचना पाल पत्नी श्री आर0डी0 पाल, बी-601, रोहतास प्रेसिडेंशियल टावर्स, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

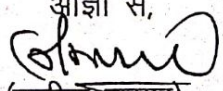
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 27 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री शीतला प्रसाद सिंह, 31, बी कैण्ट रोड, ओडियन कालोनी, ओडियन सिनेमा के सामने, कैसरबाग, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

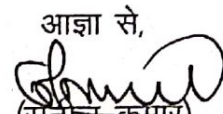
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 28 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री हर्षवर्धन शाही पुत्र स्व० श्री रामबृक्ष शाही, ए-17, पत्रकारपुरम, राप्तीनगर, शाहपुर, गोरखपुर को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

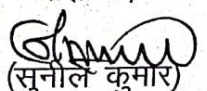
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 29 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री अजय कुमार उप्रेती पुत्र स्व० श्री मोहन चन्द्र उप्रेती, 65, मंगलपुरी, ईस्माइलगंज, सुषमा हास्पिटल के निकट, पो0-चिनहट, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

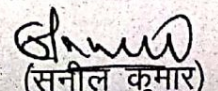
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 30 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्रीमती किरन बाला चौधरी पत्नी श्री राम औतार, 559 ख/27 क, श्रीनगर, श्रंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

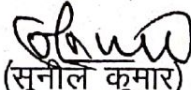
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 31 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री चन्द्र कान्त पाण्डेय पुत्र स्व० श्री ओंकार नाथ पाण्डेय, 2/34, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

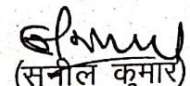
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 32 / 43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र श्री राजपति तिवारी, ए-4/4, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

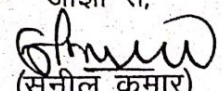
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 33 / 43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, 64 आफिसर्स हास्टल, मीराबाई मार्ग, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

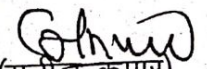
राज्यपाल की आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या- 34 /43-2-2019-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री राजीव कपूर पुत्र स्व0 श्री के0एन0 कपूर, बी-12, बटलर पैलेस कालोनी, जापलिंग रोड, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

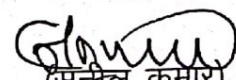
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार)
उप सचिव।